

अध्याय V

नियमों और विनियमों का अननुपालन

5.1 प्रस्तावना

हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से संबंधित निर्धारितियों द्वारा बनाये गये अभिलेखों की जांच की और सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने और शुल्क भुगतान की सत्यता की जांच की। हमने ₹ 66.74 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ/उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के मामले और अन्य मामले देखे। हमने 56 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को इन मामलों के बारे में बताया। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 65.75 करोड़, जिसमें से ₹ 15.70 करोड़ वसूल कर लिये गये थे के वित्तीय निहितार्थ वाले 52 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014)। उपरोक्त 52 मामलों में से, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 61.66 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 45 मामलों में सुधारात्मक कार्यवाही शुरू/पूर्ण की। हमने परिशिष्ट II में इन 45 पैराग्राफों का विवरण प्रस्तुत किया। आपत्तियां तीन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत शामिल हैं:

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का गैर भुगतान/कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट

अन्य मामले

5.2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान

5.2.1 उत्पाद शुल्क की कम उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण) नियमवाली, 2000 के नियम 10ए (i) के अनुसार जब, उत्पाद शुल्क योग्य माल ठेकेदार द्वारा उत्पादित या निर्मित किया जाता है, तब यदि माल मुख्य निर्माता द्वारा वितरण के लिए ठेकेदार की फेक्ट्री से माल की निकासी के समय सुपुर्दगी हेतु बेचा जाये, जहां माल के मुख्य निर्माता और खरीददार संबंधित न हो और बिक्री के लिये मूल्य ही एकमात्र विचार हो, तो

उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्य, मुख्य निर्माता द्वारा बेचे गये उक्त माल का लेनदेन मूल्य होगा।

बोलपुर आयुक्तालय में, मैसर्स दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड, ने 2011-12 के दौरान मुख्य निर्माता (पूर्वोक्त नियम द्वारा अपेक्षित) द्वारा बेचे गये माल के लेनदेन मूल्य के बजाय उत्पादन की लागत के आधार पर निकाले गये निर्धारणीय मूल्य पर उत्पाद शुल्क के भुगतान पर ठेकेदार के रूप में कोक की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के लिये ₹ 2.78 करोड़ का कम मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप ₹ 14.33 लाख के शुल्क की कम वसूली हुई जो देय ब्याज सहित वसूली योग्य है।

हमने मार्च 2013 में इसे बताया ।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (अक्टूबर 2014) स्वीकार की और सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस तैयारी किया जा रहा था।

5.2.2 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क की कम उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(3)(डी) के अनुसार 'लेन-देन मूल्य' का अर्थ है माल, जब बेचा जाये, के लिये वास्तव में भुगतान किया गया या भुगतान योग्य मूल्य, और इसमें बिक्री के संबंध या कारण से चाहे बिक्री के समय या किसी भी अन्य समय देय, कोई भी राशि जो खरीददार निर्धारिती को या की ओर से देने का जिम्मेदार है, शामिल है।

रिचर्डसन और कुडास (1972) लिमिटेड बनाम कलेक्टर सीई नागपुर के मामले में न्यायाधिकरण दिल्ली⁴ और सुकल्प एजेंसीज बनाम सीसीई, लखनऊ के मामले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद⁵ ने विभाग के दृष्टिकोण को कायम रखते हुये, निर्णय दिया कि जांच प्रभार निर्धारणीय मूल्य में शामिल करने योग्य थे।

हल्दिया आयुक्तालय में मैसर्स नम्पा इलैक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (नम्पा स्टील डिविजन) ने 2010-11 के दौरान विभिन्न ग्राहकों को जी.आई. स्ट्रक्चर, एमएस स्ट्रक्चर आदि और उसके घटक बेचे थे। निर्धारिती ने जीआई/एमएस स्ट्रक्चर आदि की बिक्री से जुड़े खरीददारों से एकत्रित/वसूली योग्य ₹ 2.48

⁴ 1999(110) ई.एल.टी.874 (न्यायाधिकरण-दिल्ली)

⁵ 2013(298) ई.एल.टी.38 (इलाहाबाद)

करोड़ के 'प्रोटो परीक्षण प्रभार' परिलक्षित किया। ऐसे प्रभारों को शुल्क लगाने के लिये उक्त माल के निर्धारणीय मूल्य से जोड़ना चाहिये था। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के उक्त माल का कम मूल्यांकन हुआ और फलस्वरूप ₹ 25.58 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।

हमने जनवरी 2013 में इसे बताया।

विभाग/मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

5.2.3 अतिरिक्त निर्धारण पर शुल्क की गैर उगाही

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) के अनुसार, जब उत्पाद शुल्क किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उसके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हो, तब ऐसा मूल्य लेन-देन मूल्य होगा। लेन-देन मूल्य का अर्थ है माल, जब बेचा जाये, के लिये वास्तव में दी गई राशि या देय राशि, और मूल्य के रूप में लगाई गई राशि के अतिरिक्त कोई भी राशि जो खरीदार बिक्री के संदर्भ में, निर्धारिती को या की ओर से देने का जिम्मेदार हो, शामिल है लेकिन ऐसे माल पर वास्तव में भुगतान किया गया या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य करों यदि कोई है, की राशि शामिल नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर के लंबित भुगतान के लिये पैकेज प्रोत्साहन योजना शुरू की जिससे निर्धारिती को खरीददार से बिक्री कर एकत्रित करने और अपने पास रखने और उसे निर्धारित अवधि के बाद वापस लौटाने की अनुमति थी। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित किया और बिक्री कर देयता के समयपूर्व पुनर्भुगतान के लिये और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करते हुये नवम्बर 2002 में अधिसूचना जारी की। क्योंकि बिक्री कर वास्तव में देय नहीं था, वो लेन-देन मूल्य में शामिल करने योग्य था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जयपुर ॥ बनाम मैसर्स सुपर सिनोटेक्स (इंडिया) के इसी तरह के मामले में विभाग के विचार की परिपुष्टि करते हुये, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बिक्री कर का अतिरिक्त प्रोत्साहन लेन-देन मूल्य⁶ के रूप में माना जायेगा। हमारे समक्ष तीन

⁶ 2014-टीआईओएल-19-एससी-सीएक्स

उदाहरण आये जहां निर्धारिति द्वारा लेन-देन मूल्य में अतिरिक्त निर्धारण शामिल नहीं किया गया था।

i) कोल्हापुर आयुक्तालय में मोटर वाहन का सामान और पुर्जों के निर्माण से जुड़े मैसर्स फेयरफील्ड एटलस लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री कर लंबित देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान का विकल्प चुना। लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर उपार्जित बिक्री कर देयता के समयपूर्व पूर्वभुगतान के कारण ₹ 3.42 करोड़ की छूट प्राप्त हुई। उपभोक्ता से वास्तव में एकत्रित बिक्री कर और एनपीवी में किये गये भुगतान के बीच अंतर लेखों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया था। एकत्रित की गई लेकिन सरकार को भुगतान न की गई बिक्री कर राशि निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त आय के रूप में जोड़ी जानी थी। अतिरिक्त आय को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 3.42 करोड़ तक के माल का कम मूल्यांकन के साथ ₹ 28.18 लाख के उत्पाद शुल्क की अनुवर्ती कम उगाही हुई जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2014) और कहा कि निर्धारिति को ₹ 55.71 लाख के लिये एससीएन जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि मैसर्स सुपर सिंकोटेक्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करने के लिये, दिनांक 17 सितम्बर 2014 के पत्र के माध्यम से, क्षेत्रीय संरचनाओं को निर्देश जारी कर दिये गये थे।

ii) नागपुर अयुक्तालय में, मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बिक्री कर लंबित देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान का विकल्प चुना। निर्धारिति के वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिति को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) पर उपार्जित बिक्री कर देयता के समयपूर्व भुगतान के कारण वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 3.56 करोड़ और ₹ 10.26 करोड़ की छूट प्राप्त हुई। उपभोक्ता से वास्तव में एकत्रित बिक्री कर और एनपीवी में किये गये भुगतान का अंतर खाते में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया था। एकत्रित की गई लेकिन सरकार को भुगतान न की

गई बिक्री कर की राशि, निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त आय के रूप में जोड़ी जानी थी। अतिरिक्त आय को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 13.82 करोड़ तक के माल का कम मूल्यांकन के साथ ₹ 1.71 करोड़ के उत्पाद शुल्क की अनुवर्ती कम उगाही हुई।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

विभाग/मंत्रालय का उत्तर (दिसम्बर 2014) प्रतीक्षित था।

iii) कोल्हापुर आयुक्तालय में मैसर्स टाटा मेटालिक्स लिमिटेड ने पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री कर लंबित देयता के समय पूर्व पुनर्भुगतान का विकल्प चुना। निर्धारिती को शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), में उपार्जित बिक्री कर देयता के समयपूर्व भुगतान के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 3.48 करोड़ की छूट प्राप्त हुई। उपभोक्ता से वास्तव में एकत्रित बिक्री कर और एनपीवी में किये गये भुगतान का अंतर लेखों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया था। एकत्रित की गई लेकिन सरकार को भुगतान न की गई बिक्री कर राशि निर्धारणीय मूल्य में अतिरिक्त आय के रूप में जोड़ी जानी थी। अतिरिक्त आय को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ₹ 3.48 करोड़ तक के माल का कम मूल्यांकन के साथ ₹ 35.81 लाख के उत्पाद शुल्क की अनुवर्ती कम उगाही हुई।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती को ब्याज सहित ₹ 35.81 लाख के शुल्क की मांग करते हुये एससीएन जारी कर दिया गया था।

5.3 सेनवेट क्रेडिट

5.3.1 सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) में प्रावधान है कि जहां शुल्क योग्य और छूट प्राप्त तैयार उत्पाद के निर्माण से जुड़े निर्धारिती, छूट प्राप्त उत्पादों में प्रयोग की गई इनपुट/इनपुट सेवाओं के लिये अलग खाता बनाये बिना दोनों, शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त तैयार उत्पादों में प्रयोग की जाने वाली इनपुट/इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गये शुल्क का क्रेडिट लेता है, तो फैक्ट्री से निकासी के समय 6 जुलाई 2009 तक छूट प्राप्त माल के कुल

मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर राशि और उसके बाद पांच प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

बोलपुर आयुक्तालय में मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड – आईआईएससीओ स्टील प्लांट ने उत्पाद शुल्क के भुगतान पर लौह और इस्पात उत्पादों की निकासी की। हमने देखा कि लौह और इस्पात के निर्माण के दौरान 'तरल लावा' भी उत्पादित होता है। तरल लावा शुल्क से छूट प्राप्त है। निर्धारिति ने 2008-09 और 2009-10 के दौरान बेचे गये लावे के कुल मूल्य के अनुपातिक क्रेडिट की वापसी या दस/पांच प्रतिशत का भुगतान, जैसा लागू हो, के बिना तरल लावे की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.36 लाख का गैर – भुगतान हुआ जो लागू दर से ब्याज सहित वसूली योग्य है।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2010), आयुक्तालय ने अभ्युक्ति (अक्टूबर 2012) को स्वीकार किया और सूचित (अप्रैल 2013) किया कि निर्धारिती ने ₹ 1.95 लाख के ब्याज सहित ₹ 2.52 लाख की राशि वापस की। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 2008 से जनवरी 2010 की अवधि को कवर करते हुये ब्याज और लागू जुर्माने सहित ₹ 22.21 लाख के लिये कारण बताओं नोटिस जारी (नवम्बर 2013) किया गया था। ₹ 3.70 लाख की शेष राशि की मांग की जानी बाकी है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)।

5.3.2 इनपुट सेवाओं के लिये सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिये प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) के अनुसार, जब इनपुट या पूंजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया हो, की फैक्ट्री से उसी रूप में निकासी की जाये, तो तैयार उत्पाद के निर्माता को ऐसे इनपुट या पूंजीगत माल के संबंध में उपयोग किये गये क्रेडिट के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा और इस तरह से निकासी को नियम 9 में संदर्भित बीजक के कवर के अंतर्गत करना होगा। तथापि, इनपुट/पूंजीगत माल की वैसे ही

निकासी के समय इनपुट सेवाओं के अनुपातिक सेनवेट क्रेडिट की वापसी के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

रायपुर आयुक्तालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर सूची अधिनियम, 1955 के अध्याय 25, 26, 27, 28, 68, 72, 73, 74 और 84 की सामग्री के निर्माण से जुड़े मैसर्स जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान इनपुट और पूंजीगत माल की वैसे ही निकासी की। इन इनपुट और पूंजीगत माल पर आरोप्य सेनवेट क्रेडिट निर्धारिती द्वारा वापस किया गया लेकिन इन इनपुट और पूंजीगत माल पर आरोप्य जीटीए सेवा पर सेवा कर पर उपयोग किये गये ₹ 13.10 लाख की राशि के सेनवेट क्रेडिट को निर्धारिती द्वारा वापस नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.10 लाख के सेनवेट क्रेडिट की गैर-वापसी हुई।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2013), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2014) और कहा कि जीटीए सेवा पर भुगतान किये गये सेवा कर के क्रेडिट की वापसी की अपेक्षा का नियम 3(5) में कोई प्रावधान नहीं है।

सिफारिश संख्या 1

➤ बोर्ड इनपुट या पूंजीगत माल की वैसे ही निकासी के समय इनपुट सेवाओं के लिये आरोप्य अनुपातिक क्रेडिट की वापसी की अपेक्षा करने वाला उचित प्रावधान सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में शामिल करने पर विचार करें।

5.3.3 अप्रयुक्त इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट की गैर वापसी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के उप-नियम 5(बी) में प्रावधान है कि प्रयोग करने से पहले यदि किसी भी इनपुट या पूंजीगत माल का मूल्य, जिस पर क्रेडिट लिया गया हो, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल दिया गया है या जहां बट्टे खाते में डालने के लिये कोई भी प्रावधान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बही खाते में किया गया हो, तो निर्माता या सेवा प्रदाता, जैसा भी मामला हो, उक्त इनपुट या पूंजीगत माल के संबंध में लिये गये सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

जयपुर-1 कमिश्नरी में मै. डीसीएम श्रीराम कनसोलिडेटेड लिमिटेड ने मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए खाता बही में ₹ 1.21 करोड़ मूल्य के पुराने इनपुटों के लिए प्रावधान किया था। चूंकि, पुराने इनपुटों के लिए प्रावधान उनके उपयोग किये जाने से पहले किया गया था तब निर्धारिती से उक्त इनपुटों के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट के बराबर ₹ 17.48 लाख की राशि का भुगतान करना अपेक्षित है।

जब हमने इसके बारे में बताया (मार्च 2014) तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और बताया कि वास्तविक देय शुल्क ₹ 19.77 लाख था और ₹ 19.77 लाख के लिए निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

5.3.4 सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति

विशेष माल के लिए जारी अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 के साथ पठित 1 मार्च 2011 की अधिसूचना के अनुसार एक प्रतिशत की प्रभावी शुल्क दर इस शर्त के साथ निर्धारित की गई थी कि इनपुट या इनपुट सेवाओं पर कोई सेनवेट क्रेडिट प्राप्त नहीं किया गया है और उक्त को छूट प्राप्त माल के समान माना जाना चाहिए।

सलेम कमिश्नरी में मै. शेषाशायी पेपर एण्ड बोर्ड लिमिटेड ने अधिसूचना के अन्तर्गत एक प्रतिशत की दर पर प्रतिकारी शुल्क के भुगतान पर कोयला (टीएसएच 2701 19 20) आयात किया। तथापि, निर्धारिती ने भुगतान किए गए प्रतिकारी शुल्क पर ₹ 89.83 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था जोकि अधिसूचना में निर्धारित शर्त के उल्लंघन में था। अपात्र क्रेडिट को ब्याज सहित लौटाया जाना अपेक्षित था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2013), तब मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2014) और बताया कि वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया अपात्र सेनवेट क्रेडिट ₹ 89.83 लाख था और ₹ 89.83 लाख के लिए कारण नोटिस जारी किया जा रहा था।

5.3.5 बेसिक सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर के सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति

भारत सरकार ने अधिसूचना स. 13/2012 सीमा शुल्क और 14/2012-सीमा शुल्क दिनांक 17 मार्च 2012 के माध्यम से भारत में माल के आयात के समय प्रतिकारी शुल्क के भाग के रूप में संगृहित समस्त शिक्षा उपकर और माध्यमिक उच्च शिक्षा (एसएचई) उपकर से सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अन्दर आने वाले सभी माल को छूट दी थी। इसके अलावा, सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 3(1) केवल सीवीडी पर उदगृहित शिक्षा उपकर और एसएचई उपकर के क्रेडिट की अनुमति देता है किन्तु बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) के भाग के रूप में अनुदगृहित पर नहीं।

मेरठ -I, मेरठ-II, लखनऊ और कानपुर कमिश्नरियों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 18 निर्धारितियों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि इन निर्धारितियों ने 2012-13 के दौरान सीमा शुल्क के अंश के रूप में भुगतान किए गए शिक्षा उपकर और एसएचई उपकर के ₹ 35.83 लाख के सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किए थे जोकि गलत था और इसलिए यह ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमने जनवरी और जून 2014 के बीच इसके बारे में बताया।

विभाग/मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।

5.4 अन्य मामलें

5.4.1 निर्धारिती द्वारा उत्पाद शुल्क योग्य माल की उसके द्वारा नष्ट या प्राकृतिक कारण द्वारा नष्ट माल के लिए विभाग को सूचना देने की अपेक्षा करने वाले प्रावधान का अभाव

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 21 में शुल्क की माफी के लिए प्रावधान है यदि उत्पाद शुल्क योग्य माल को खपत या विपणन के लिए उचित न पाया जाए। तथापि, अधिनियम/नियमावली में निर्धारिती द्वारा माल को नष्ट करने से पूर्व विभाग को सूचना देने या प्राकृतिक कारण से नष्ट माल एवं शुल्क से माफी का दावा करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। सीबीईसी के पूरक अनुदेशों की उत्पाद शुल्क नियम पुस्तक, 2005 के अध्याय

18 में माल की क्षति और शुल्क से माफी का दावा करने के लिए निर्धारिती द्वारा पालन किए जाने वाले अनुदेश और प्रक्रिया निर्दिष्ट है जिसमें यह अपेक्षा है कि निर्धारिती को कारणों सहित नष्ट किए जाने वाले माल के बारे में विभाग को सूचना देनी चाहिए और सारे माल को विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत नष्ट किया जाएगा। यद्यपि ये अनुदेश केवल विभागीय अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं। हालांकि, विधिक घोषणाएं भी हैं जो यह पुष्टि करती हैं कि माफी के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है, नियमावली में ऐसा कुछ नहीं है जो माल को स्वयं नष्ट करने को रोक सके।

कोल्हापुर कमिश्नरी में सीईटीए, 1985 के अध्याय 38 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के विनिर्माण में लगे हैं। डाऊ एग्रो साइसेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 2011-12 से 2012-13 की अवधि के दौरान 32.11 एमटी क्लोरोपाइरीफोस टेक, एक कीट नाशक को नष्ट किया। निर्धारिती ने ना तो माल को नष्ट करने के लिए अनुमति ली और न ही नष्ट करने के लिए माल के हटाव पर शुल्क का भुगतान किया था जोकि ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

जब हमने इस बारे में बताया (मई 2013) तब विभाग ने बताया (अगस्त 2013) कि निर्धारिती ने तैयार माल को बेचा नहीं था बल्कि इसे नष्ट करने के लिए भेज दिया था। इसलिए, लौटाई जाने वाली राशि को तैयार माल में उपयोग किए गए इनपुटों के मूल्य के आधार पर निकाला गया था। निर्धारिती ने जून 2013 में ₹ 9.81 लाख की राशि लौटाई थी और जुलाई 2013 में ₹ 1.67 लाख के ब्याज का भुगतान किया था। विभाग ने आगे सूचना दी (जुलाई 2014) कि निर्धारिती ₹ 1.16 लाख के ब्याज सहित ₹ 5.69 लाख के सेवा कर के क्रेडिट को भी लौटाया था। विभाग ने यह भी सूचना दी कि निर्धारिती ने ना तो शुल्क से माफी के लिए कोई आवेदन दर्ज कराया और ना ही खराब माल को नष्ट करने के लिए विभाग से कोई अनुमति मांगी। निर्धारिती ने स्वयं माल को नष्ट कर दिया था।

चूंकि निर्धारिती ने माल को नष्ट करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली थी इसलिए उससे विनिर्मित माल पर पूर्ण उत्पाद शुल्क का भुगतान अपेक्षित था। सेनवेट क्रेडिट को केवल तब लौटाया जाता है जब माफी दी गई हो।

चूंकि, निर्धारिती ने विभाग से अनुमति लिए बिना माल को नष्ट कर दिया था और वास्तविक रूप से नष्ट करने का पर्यवेक्षण भी नहीं किया गया था, इसलिए माल के अवैध निराकरण की सम्भावता से बचा नहीं जा सकता। विभाग ने पूर्ण शुल्क की मांग की ब्याज माल को नष्ट करने से संबंधित कार्यकलापों और सेनवेट क्रेडिट को स्वीकार किया। यह बोर्ड के इसके अधिकारियों को दिए गए पूरक अनुदेशों के अनुसार नहीं था।

सिफारिश सं. 2

- सीबीईसी उत्पाद शुल्क योग्य माल को नष्ट करने से पहले निर्धारिती द्वारा पालन हेतु करने के लिए उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक कारण से नष्ट हुए माल के लिए विभाग को सूचना देने और शुल्क की माफी का दावा करने के लिए नियमावली में उचित प्रावधानों को शामिल करने पर विचार करे।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2014)।